गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021

फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/2013/3786-90 दिनांक :15-5-201

सेवा में,

निदेशक,

चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी,

कौशाम्बी।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-2014 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1382/सोलह-1-2013-13(03)/2013, टी सी दिनांक 15 मई, 2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ फार्मेसी, कौशाम्बी को बी०फार्म० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु दिनांक 1-7-2013 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था में योग्य एवं अनुभवी निदेशकों एवं प्राचार्यों की व्यवस्था करायी जाए तथा उनके चयन पर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किये जाएं। संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के चयन पर भी विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के ख्यातिलबध मैन्टर्स की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी तथा उक्त मैन्टर्स को दिये जाने वाले मानदेय एवं यात्रा व्यय आदि संस्था द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. संस्था में प्रवेशित जिन छात्रों की प्रस्तुतीकरण क्षमता/कौशल कमजोर है उनके लिए संस्था द्वारा अलग से कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को परीक्षाओं में अपने ज्ञान के प्रस्तुतीकरण में कठिनाई न हो।
4. छात्रों के शिक्षण हेतु ख्यातिलब्ध शिक्षकों के विषयगत व्याख्यानों की व्यवस्था में ई-लर्निंग की सुविधा का विकास सुनिश्चित किया जाय।
5. विश्वविद्यालय के स्तर से संस्था में कार्यरत शिक्षकों के लिए फैकल्टी डवलपमेन्ट प्रोग्राम्स संचालित किये जायें और इन संस्था की ओर विशेष ध्यान देते हुए संस्था के शिक्षकों को इसमें आवश्य सम्मिलित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें निम्नवत के अनुसार पूर्ववत होंगी :-

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

Scanned by CamScanner

4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गई फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किय जायेगा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2014-15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बी.फार्म. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।

9. जिन संस्थाओं की आभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगीं।

10. संसथा द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner